

9/9/25

पत्रावली पैसा हुई, वकील उमयप्रसाद उपस्थित। वकील
 पक्षी ने बाद पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चालने
 का निर्देशन कर मोट प्रेस किया। अतः वकील
 पक्षी के निर्देशन अनुसार बाद मोट प्रेस में
 खारिज किया गया है। पत्रावली फैसला सुनाने
 के बाद मंजूर हो जायेंगे।

सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Not press

